संख्या : 255(1)/94–स्टा0नि0–2–2022–700(01)/2022

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ0प्र0 लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–1   लखनऊ, दिनांक : 04 अप्रैल, 2022

विषय : प्रदेश में निर्मित फ्लैट्स के विक्रय–विलेखों के निष्पादन एवं पंजीकरण तथा एफ0ए0आर0 के विक्रय में आ रही सम्सयाओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 06.04.2022 को मध्याह्न 12:30 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में लोक भवन प्रथम तल स्थित उनके सभा कक्ष में एक बैठक आहूत की गयी है, जिसका एजेन्डा बिन्दु संलग्न कर प्रेषित है।

2. इस बैठक की सूचना समस्त विकास प्राधिकरणों को भेज दी गयी है किन्तु सम्भव है कि कुछ प्राधिकरणों को समय पर सूचना न मिल सके, इसलिए सम्बन्धित समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को आदेशित करने का कष्ट करें कि वह बैठक की सूचना अपने स्तर से भी सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध करा दें।

3. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया प्रस्तर–2 में उल्लिखित बिन्दु पर कार्यवाही कराते हुए बैठक हेतु सूचना/प्रस्तुतीकरण भी तैयार कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : एजेन्डा बिन्दु।

भवदीय,

(अजय कुमार अवस्थी)
विशेष सचिव।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.04.2022 को समय 12.30 बजे प्रदेश के विकास प्राधिकरणों एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के साथ होने वाली वीडियो कान्फ्रेसिंग बैठक के मुख्य बिन्दु

1– प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा फ्लैट्स के विक्रय विलेखों अथवा सबलीज डीड का निष्पादन न करने से विलेखों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है।

2– प्राधिकरणों द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों में एफ0ए0आर0 की वृद्धि सम्बन्धी प्रकरणों में अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की देयता सुनिश्चित किया जाना।

3– सुपर एरिया एवं कारपेट एरिया का विवाद होने से विक्रय विलेखों का निष्पादन/पंजीकरण बाधित है।

4– किरायेदारी विलेखों में देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त दो प्रतिशत विकास शुल्क (स्टाम्प शुल्क के रूप में) की वसूली।

5– अन्य कारण, जिनकी वजह से फ्लैट्स के विक्रय विलेखों का निष्पादन/पंजीकरण नहीं हो पा रहा है।